नियम 152 : न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की

जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए।